न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 13/2024 **दायर दिनांकः 14/10/2024**

उनवान

1. नन्दकिशोर आयु 61 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भौरा हाल मुकाम हनुमान जी गली संजय नगर कोटा तह० कोटा जिला कोटा (राज.)
2. सुनिता शर्मा आयु 51 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नी हनुमान प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भौरा हाल मुकाम गणेश नगर आनदपुर फूटा तलब कोटा तह० कोटा जिला कोटा (राज)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :–
प्रार्थिया :–विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौतम
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 13.01.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया के शामलाती कब्जे काश्त एंव स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एंव माल भौरा तहसील अटरू में खाता सं0 86 के खसरा नं 61/564 का रकबा 0.09, खसरा नं 70 का रकबा 0.15, खसरा नं 71 का रकबा 0.05, खसरा नं 72 का रकबा 0.19, कुल 4 किता का रकबा 0.48 हे0 स्थित है जिसमे हमारा हिस्सा 1/3, 1/3 है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थीगण का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से नन्दकुमार के स्थान पर नन्दकिशोर व सुमित्रा के स्थान पर सुनिता अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थीगण का सही नाम नन्दकिशोर व सुनिता है जो कि उसके आधार कार्ड पैन कार्ड पहचान पत्र शपथ पत्र आदि दस्तावेजों में भी नन्दकिशोर व सुनिता नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपना नाम नन्दकुमार के स्थान पर नन्दकिशोर व सुमित्रा के स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:30:02 IST
Reason: SelfAttested

पर सुनिता दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पुर्वक कार्य से आर्थीगण का नाम नन्दकिशोर व सुनिता कर देने से प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थाना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल भौरा पटवार हल्का किशनपुरा तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल भौंरा तहसील अटरू में खाता सं0 86 के खसरा नं 61/564 का रकबा 0.09, खसरा नं 70 का रकबा 0.15, खसरा नं 71 का रकबा 0.05, खसरा नं 72 का रकबा 0.19, कुल 4 किता का रकबा 0.48 हे0 स्थित जिसमे हमारा हिस्सा 1/3 1/3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। आराजी में प्रार्थीगण का नाम नन्दकुमार के स्थान पर नन्दकिशोर व सुमित्रा के स्थान पर सुनिता दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/30 दिनांक 07.01.2025 को शामिल फाईल किया गया। अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल भौंरा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 86, आधार कार्ड नन्दकिशोर, पेन कार्ड नन्दकिशोर, मतदाता पहचान पत्र नन्दकिशोर, पेन कार्ड सुनीता शर्मा, मतदाता पहचान पत्र सुनिता शर्मा, पेन कार्ड सुनिता शर्मा, शपथ पत्र नन्दकिशोर, शपथ पत्र सुनिता शर्मा, शपथ पत्र रामकिशन, शपथ पत्र हनुमान प्रसाद का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:30:02 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल भौंरा तहसील अटरू के खाता संख्या 86 का खसरा न. 61/564 रकबा

0.09 है0, ख0नं0 70 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 71 रकबा 0.05 है0 व ख0न0 72 रकबा 0.19 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.48 है0 में सहखातेदार नन्दकुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ नन्दकुमार पुत्र मोहनलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा सुमित्रा कुमारी पुत्री मोहनलाल के स्थान पर सुमित्रा कुमारी उर्फ सुनिता पुत्री मोहनलाल किये जाने में खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल भौंरा तहसील अटरू के खाता संख्या 86 का खसरा न. 61/564 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 70 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 71 रकबा 0.05 है0 व ख0न0 72 रकबा 0.19 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.48 है0 में सहखातेदार नन्दकुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ नन्दकुमार पुत्र मोहनलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:30:02 IST
Reason: SelfAttested